

31.08.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अकंतालिका दसवी कक्षा, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र रमाकान्त का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्रार्थी का सही नाम रमाकान्त है तथा रमाकान्त शर्मा व मूरली दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम नावता पटवार हल्का जहाज तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 329 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम मुरली पुत्र बजरंगलाल के बजाय रमाकान्त शर्मा पुत्र बजरंगलाल दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

31.8.21
(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (मुन्डु)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.21
(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (मुन्डु)

